# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086


कमांक/टीसीबी/2015/ 77 दिनांक :: 5 मार्च फरवरी, 2015

## बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2015 को प्रातः 11.30 बजे जोधपुर विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष, जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में प्राधिकरण स्थित कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

**प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 1 नवम्बर, 2013 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि**

जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की गत बैठक दिनांक 1 नवम्बर, 2013 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 1 नवम्बर, 2013 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 2 :: वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के संबंध में।**

शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के संबंध में विचार विमर्श करने हेतु प्रकरण बैठक में प्रस्तुत हुआ।

बैठक में उपस्थित श्री कैलाशदान जुगतावत, अतिरिक्त उपायुक्त–पुलिस (यातायात), जोधपुर ने मण्डोर रोड स्थित कृषि मण्डी के पास संचालित निजी बस स्टेण्ड को उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कृषि मण्डी, मण्डोर रोड़ के पास संचालित निजी बस स्टेण्ड को नागौर रोड पर उपयुक्त स्थान का चयन कर आगामी बैठक में चयनित स्थान के बारे में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जावे ताकि इस संबंध में निर्णय लिया जा सके।

**प्रस्ताव संख्या 3 :: यातायात संकेतकों की स्थापना व कियान्वयन के संबंध में।**

यातायात संकेतकों की स्थापना व कियान्वयन के संबंध में विचार विमर्श करने हेतु प्रकरण बैठक में प्रस्तुत हुआ।

बैठक में उपस्थित श्री कैलाशदान जुगतावत, अतिरिक्त उपायुक्त–पुलिस (यातायात), जोधपुर ने शहर के लगभग सभी मार्गों पर यातायात संकेतकों की स्थापना तथा सडकों पर जेब्रालाईन, पार्किंग लाईन, लैफ्ट टर्न लाईन आदि पेन्ट करने की मांग की।

बैठक में विचार विमर्श के बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित विभाग यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग, नगर निगम, जोधपुर विकास प्राधिकरण अपने अधीनस्थ सडकों पर जेब्रालाईन, पार्किंग लाईन, लैफ्ट टर्न लाईन आदि पेन्ट करवाने व यातायात संकेतकों की स्थापना की कार्यवाही करेंगे। निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर इस कार्यवाही के समन्वयक होंगे।

**एजेण्डा संख्या 4 :: प्रमुख सडक मार्गों पर आवारा पशुओं की आवाजाही को नियंत्रित किये जाने के संबंध में।**

बैठक में प्रमुख सड़क मार्गों पर पाये जाने वाले यातायात में बाधक आवारा पशुओं की आवाजाही को नियंत्रित करने के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित श्री सुखराम चौधरी, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर ने अवगत कराया गया कि नगर निगम की गैंग द्वारा आवारा पशुओं को पकडे जाने की नियमित कार्यवाही की जा रही है।

बैठक में उपस्थित श्री कैलाशदान जुगतावत, अतिरिक्त उपायुक्त–पुलिस (यातायात), जोधपुर ने बताया कि अभी भी पावटा चौराहा तथा शनिश्चर जी के थान से जालोरीगेट के मध्य डिवाईडर तथा इसके आसपास आवारा पशु बहुतायत से पाये जाते है। जिसके कारण अक्सर छोटी मोटी दुर्घटनाएं कारित होती रहती है।

बैठक में सर्व सम्मति से सड़क पर गायों के रिजका बेचने तथा उससे होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में विचार विमर्श कर सड़क के पर रिजका बेचने पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने तथा आवारा गौवंश को पकडे जाने की प्रभावी कार्यवाही करने तथा उक्त कार्य को नियमित रूप से तथा प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश नगर निगम को प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नगर निगम, जोधपुर द्वारा आगामी एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाकर रिजका जब्त करने तथा आवारा पशुओं को पकडे जाने की कार्यवाही की जावे।

**प्रस्ताव संख्या 5 :: नांदडी से सूरसागर वृद्धिकरण भोमियाजी का थान दूरी 17 कि. मी. वृद्धिकरण 2 कि.मी. कुल 19 कि.मी. स्वीकृति बाबत। (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर का पत्र क्रमांक परि/14/1065 दिनांक 27 अक्टूबर, 2014)**

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक परि/14/1065 दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 द्वारा नांदडी से सूरसागर संचालन करने वाले वाहन स्वामियों द्वारा सूरसागर से 2 कि.मी. आगे भोमियाजी का थान तक का वृद्धिकरण चाहा गया है। जिस पर माननीय विधायक श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास जी ने भी आम जन को यातायात के सुगम एवं सरल साधन उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा है। जिस पर कार्यालय द्वारा उक्त मार्ग का सर्वे करवा कर सर्वे रिपोर्ट पत्रांक 1749 दिनांक 3 अप्रैल, 2014 के द्वारा मय ब्ल्यू प्रिन्ट के श्रीमान् उप शासन सचिव (मु.) एवं अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, जयपुर को प्रेषित की गयी थी। इस सर्वे रिपोर्ट के साथ वृद्धिकरण पर सिटी बस रूट संख्या 2ए के वाहन स्वामियों द्वारा जरिये अधिवक्ता के अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गयी। जिसे मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर दिया गया है। सहायक परिवहन आयुक्त, जयपुर ने अपने पत्रांक 53570 दिनांक 21 जुलाई, 2014 के द्वारा उक्त वृद्धिकरण को यातायात नियंत्रण बोर्ड से अनुशंषा करवा कर पुनः भिजवाने हेतु लिखा है। अतः नांदडी से सूरसागर मार्ग का वृद्धिकरण भोमियाजी का थान तक करने की अनुशंषा करने के संबंध में प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के प्रस्तावानुसार जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की अनुशंषा करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 6 :: सूरजबेरा से न्यू हाईकोर्ट मार्ग तक 22 कि.मी. का नगरीय परिवहन सेवा (बी.आर.टी.एस.) का मार्ग खोलने बाबत। (प्रादेशिक**

परिवहन अधिकारी, जोधपुर का पत्र कमांक परि/14/13824 दिनांक 27 नवम्बर, 2014)

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक परि/14/13824 दिनांक 27 नवम्बर, 2014 द्वारा निवेदन किया कि माननीय विधायक श्रीमती सूर्यकांता व्यास जी सदस्य विधानसभा सचिवालय से मुख्यालय को प्राप्त पत्र में सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में शहर के मुख्य अस्पतालों के साथ अन्य विकसित कॉलोनियों को सरल, सस्ती एवं आसान परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश प्राप्त हुये। जिस पर जिला परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, जोधपुर द्वारा अधीनस्थ परिवहन निरीक्षक से सूरजबेरा से न्यू हाईकोर्ट नवीन मार्ग खोलने का सर्वे करवा, सर्वेक्षण प्रस्ताव में नजरीय नक्शा प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव पर जिला परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, जोधपुर ने भी उक्त प्रस्ताव पर बीआरटीएस नवीन मार्ग खोलने की अनुशंषा की है। अतः यातायात नियंत्रण बोर्ड से नवीन बीआरटीएस मार्ग सूरजबेरा से न्यू हाईकोर्ट खोलने की अनुशंषा करवाने का श्रम करावें। अतः प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के प्रस्तावानुसार जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की अनुशंषा करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 7 :: ऑटो रिक्शाओं की संख्या 7500 किये जाने के संबंध में। (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर का पत्र कमांक परि/2011/1211 दिनांक 23 दिसम्बर, 2014)**

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक परि/ 2014/ 1211 दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 द्वारा निवेदन किया कि जोधपुर शहर में वर्तमान में ऑटो रिक्शा संचालित करने की अनुज्ञापत्रों की सीमा 6700 है जिसे बढाया जाकर 7500 किया जाना उचित होगा। अतः प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर ने अवगत कराया कि ऑटो रिक्शा संचालित करने की अनुज्ञापत्रों की सीमा 6700 काफी पुरानी है जिसे बढ़ाया जाना उचित होगा।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में निर्णय लिया गया कि ऑटो रिक्शा संचालित करने की अनुज्ञापत्रों की सीमा केवल एल.पी.जी. ऑटो रिक्शा को ही अनुज्ञापत्र जारी करने तथा ऑटो रिक्शा स्वामी जिनके पास स्वयं का सक्षम अनुज्ञा–पत्र (ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने का लाईसेंस) है, को ही अनुज्ञा–पत्र जारी करने की शर्त पर अनुज्ञा–पत्रों की सीमा 7000 (सात हजार) किये जाने की जोधपुर यातयात नियंत्रण बोर्ड की अनुशंषा किये जाने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 8 :: टैक्सी एल.पी.जी. परमिट/अनुज्ञापत्र के संबंध में। (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर का पत्र कमांक परि/2014/14545 दिनांक 22 दिसम्बर, 2014)**

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक परि/ 2014/ 14545 दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 द्वारा निवेदन किया है कि जोधपुर नगरीय सीमा में संविदा वाहनों के रूप में चलने वाले तीन पहिया ऑटोरिक्शा के अनुज्ञपत्रों (परमिटों) की सीमा वर्ष 2003 में अधिसूचना दिनांक 4 फरवरी, 2003 के अनुसार 6000 निर्धारित की गयी। वर्ष 2010 में उप शासन सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर की अधिसूचना पत्रांक प. 9 (922) परि/ आरटीए/ 02/ 77830–45 दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 द्वारा जोधपुर शहर में तीन पहिया ऑटो रिक्शा/ ऑटो तांगा की

संख्या सीमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा अधिकतम संख्या 6000 से बढ़ाकर 6400 एवं वर्ष 2013 में उप शासन सचिव (मु.) जयपुर की अधिसूचना प. 9 (922) /परि/ आरटीए/ मुं./ 2002/ 1/ 16599 दिनांक 11 जनवरी, 2013 द्वारा 6400 से बढ़ाकर 6700 इस शर्त पर की गयी कि नये परमिट केवल एल.पी.जी./सी.एन.जी. चलित यात्रा वाहनों के लिए जारी किये जाएंगे। पूर्व में ऑटोरिक्शा डीलर्स को ट्रेफिक कण्ट्रौल बोर्ड की बैठक दिनांक 14 जनवरी, 2013 में पारित निर्णयानुसार प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये थे कि नये ऑटो रिक्शा विकय करने से डीलर द्वारा कार्यालय से स्कोप होने की जानकारी ली जाएगी एवं स्कोप होने पर ही वाहन का बेचान किया जाएगा, परन्तु इस प्रकिया का थोडे समय ही पालन करने के उपरान्त अब डीलर्स द्वारा कार्यालय से स्कोप की जानकारी नहीं ली जाकर सीधे ही वाहनों का बेचान किया जा रहा है, जिससे स्कोप की अनुपलब्धता के कारण बडी संख्या में बिना पंजीकृत एवं बिना परमिटधारी ऑटो रिक्शा के संचालन की संभावना भी बनी गयी है। वर्तमान में चूंकि 6700 वैध परमिटधारी ऑटोरिक्शा शहर में संचालित है, अतः रिक्तियों/वैकेंसी के अभाव में 147 आवेदन कार्यालय में पेंडिंग है जिनका निस्तारण स्कोप उपलब्ध होने पर ही किया जा सकता है। अतः ऑटोरिक्शा स्कोप को बढाने बाबत आगामी ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का श्रम करावें। अतः बोर्ड की बैठक के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव तथा प्रस्ताव संख्या 7 समान प्रकृति के हैं। अतः प्रस्ताव संख्या 7 के अनुसार ही कार्यवाही की जावे।

**प्रस्ताव संख्या 9 :: नगर की सिटी बसों द्वारा आवासीय बस्तियों को एमडीएम अस्पताल से जोडने बाबत (श्री भोपाल भण्डारी, जोधपुर स्वयं सेवी संस्था संघ का पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2014)**

श्री भोपाल भण्डारी, अध्यक्ष, जोधपुर स्वयं सेवी संस्था संघ, ''वात्सल्य'' सी–164, शास्त्री नगर, जोधपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सभी आवासीय बस्तियों को मथुरादास माथुर अस्पताल से नगर बस सेवा द्वारा जोडने की मांग की है। अतः प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान श्री सुखराम चौधरी, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम ने अवगत कराया कि बी.आर.टी.एस. रूट में मथुरादास माथुर अस्पताल जुडा हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि चूंकि बी.आर.टी.एस. रूट में मथुरादास माथुर अस्पताल भी सम्मिलित है। अतः इस पर पृथक से विचार करने तथा निर्णय लिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

**प्रस्ताव संख्या 10 :: जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक दिनांक 11 जुलाई, 2013 में पारित निर्णय पद संख्या 4 पर पुनः विचार एवं पुष्टि नहीं करने बाबत। (श्री दीदार, श्री भॅवर लाल वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13 नवम्बर, 2014**

श्री दीदार, श्री भॅवरलाल वगैरह ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक दिनांक 11 जुलाई, 2013 में पारित निर्णय पद संख्या 4 पर पुनः विचार किया जावे एवं पुष्टि नहीं की जावे। दिनांक 11 जुलाई, 2013 की बैठक का प्रस्ताव संख्या 4 निम्नानुसार हैः–

**''प्रस्ताव संख्या 4 :: वाहन प्रदूषण की जांच के संबंध में**

बैठक में यातायात पुलिस एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वाहनों के प्रदूषण की नियमित रूप से जांच की जा रही है तथा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

बैठक में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने अवगत कराया कि प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में अभी तक 16 पेट्रोल पम्प मालिकों ने ही प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित किये हैं तथा शेष 21 पेट्रोल पम्पों पर प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित नहीं हुए है। बैठक में शेष 21 पेट्रोल पम्प के मालिकों को एक माह की समयावधि में वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को नोटिस जारी करने निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यदि वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई को हो तो भी अवगत कराने हेतु सूचित किया जावे।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि कई वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र पर मात्र रसीद ही दी जा रही है उसमें जिस वाहन के प्रदूषण की जांच की जा रही है, की फोटो आदि नहीं जारी की जाती है। इस संबंध में बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी वाहन प्रदूषण जांच केन्द्रों पर जिस वाहन के प्रदूषण की जांच की गयी है, की फोटो सहित "पाल्यूशन अण्डर कण्ट्रोल" का प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से जारी करने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर को निर्देश प्रदान किये जावे।

बैठक में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने अवगत कराया कि गत बैठक निर्णय लिया गया कि डीजल से एल.पी.जी. वर्जन में ही परिवर्तन किये जाने की कानूनी बाध्यता नहीं है। अतः इस संबंध में लिये गये निर्णय के संबंध में पुनः विचार किया जाना उचित होगा। बैठक में बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि डीजल से एल.पी.जी./यूरो–3/यूरो–4 में परिवर्तन किये जाना अनुमत किया जावे। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी तद्नुसार कार्यवाही करें।

बैठक में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने अवगत कराया कि वर्तमान में जोधपुर शहर में टेम्पो के 12 मार्गों में से 11 मार्गों में स्कोप निर्धारित है तथा 11 मार्गो पर कुल 650 टेम्पो के स्कोप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर की अध्यक्षता में गठित मोनिटरिंग कमेटी की 10वीं बैठक दिनांक 26 मार्च, 2013 के बिन्दु संख्या 16 एवं 11वीं बैठक दिनांक 23 मार्च, 2013 के बिन्दु संख्या 19 एवं 16वीं बैठक दिनांक 30 मई, 2013 के बिन्दु संख्या 46 में थ्री व्हीलर्स टेम्पो (8 सीटर) को फ्यूअल एफीसियेन्ट एवं कम प्रदूषण करने वाले चार पहिया वाहनों से चरणबद्ध तरीके से रिप्लेस करने के निर्देश प्रदान किये हैं। इस बाबत टेम्पो यूनियन एवं स्थानीय डीलरों से वार्ता एवं मीटिंग की जा चुकी है एवं टेम्पो मालिक भी चरणबद्ध तरीके से रिप्लेसमेन्ट हेतु सहमत है। अतः जोधपुर शहर में प्रदूषण स्तर को कम करने की दृष्टि से टेम्पो मार्गों पर नये परमिट एवं रिप्लेसमेन्ट फ्यूअल एफीसियेन्ट चार पहिया वाहनों को ही जारी किया जाना उचित रहेगा। बैठक में बाद विचार विमर्श इस संबंध में सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि जोधपुर शहर में स्वीकृत टेम्पो मार्गों पर प्रदूषण स्तर कम करने की दृष्टि से भविष्य में नये परमिट एवं रिप्लेसमेन्ट फ्यूअल एफीसियेन्ट चार पहिया (8 सीटर) वाहनों को ही जारी किया जावे।"

अतः प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री दीदार, श्री भॅवरलाल वगैरह का प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सार हीन होने से खारिज योग्य है। अतः श्री दीदार, श्री भॅवरलाल वगैरह द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

**प्रस्ताव संख्या 11 :: डालीबाई मन्दिर से न्यू हाईकोर्ट मार्ग तक 18.5 कि.मी. का नगरीय परिवहन सेवा का मार्ग खोलने बाबत। (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर का पत्र कमांक परि/14/20 दिनांक 16 जनवरी, 2015)**

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर ने अपने पत्र कामंक परि/14/20 दिनांक 16 जनवरी, 2015 द्वारा निवेदन किया है कि प्रोफेसर शिवरतन भूतडा निवासी 11/18 ई चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर ने चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड के मध्य से 100 फीट चौडी सडक पर मथुरादास माथुर अस्पताल एवं शहर के अन्य क्षेत्रासें विकसित कॉलोनियों को सरल, सस्ती एवं आवासन परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया था। जिस पर जिला परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, जोधपुर को उक्त मार्ग का सर्वे कर, सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा

गया। जिला परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, जोधपुर द्वारा अधीनस्थ परिवहन निरीक्षक से डालीबाई मंदिर से न्यू हाईकोर्ट नवीन मार्ग खोलने का सर्वे करवा, सर्वेक्षण प्रस्ताव में मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव पर जिला परिवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन, जोधपुर ने भी उक्त प्रस्ताव पर नगरीय परिवहन सेवा का नवीन मार्ग खोलने की अनुशंषा की है। अतः यातायात नियंत्रण बोर्ड से नवीन नगरीय परिवहन सेवा मार्ग डालीबाई मन्दिर से न्यू हाईकोर्ट खोलने की अनुशंषा करवाने का श्रम करावें। अतः प्रकरण बोर्ड की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर के प्रस्तावानुसार जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की अनुशंषा करने का निर्णय लिया गया।

अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से:—

**प्रस्ताव संख्या 12 :: जयपुर – जैसलमेर बाईपास पर निर्मित आर.ओ.बी. को हस्तान्तरित करने के संबंध में।**

बैठक में उपस्थित ले.कर्नल श्री आर.के. शर्मा, ऑफिसर कमाण्डिंग, 45 सीमा सडक कृतिक बल, जोधपुर ने अवगत कराया कि जयपुर – जैसलमेर बाईपास का निर्माण सीमा सडक कृतिक बल (बी.आर.टी.एफ.) द्वारा करवाया गया है तथा सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है। अब ग्राम सांगरिया के पास आर.ओ.बी. का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है तथा यातायात के लिए भी खोला जा चुका है। अतः इस उक्त आर.ओ.बी. को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किया जाना उचित होगा।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उक्त जयपुर – जैसलमेर बाईपास रोड पर सांगरिया के पास नवनिर्मित आर.ओ.बी. सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 13 :: नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 15 मण्डोर फिलिंग स्टेशन से 18वां सेक्टर विस्तार चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड वृद्धिकृत डाली बाई का मंदिर से न्यू बकरा मण्डी तक वृद्धिकरण करने के संबंध में।**

बैठक में उपस्थित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने अवगत कराया कि उनके द्वारा जरिये पत्र क्रमांक परि/14/01 दिनांक 1 जनवरी, 2015 द्वारा निवेदन किया गया है कि नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 15 मण्डोर फिलिंग स्टेशन से 18वां सेक्टर विस्तार चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड वृद्धिकृत डाली बाई का मंदिर तक वर्तमान में मार्ग का संचालन हो रहा है। आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डालीबाई मंदिर से न्यू बकरा मण्डी वाया अफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीम फांटा, दारूल उलम अलेहदीश मदरसा अरबीया मदरसा, वैशाली टाऊनशिप, फिल्म सिटी मोड, फिल्म सिटी गेट, गंगाणा गांव मोड, झंवर गांव तिराहा, न्यू बकरा मण्डी तक कुल 3.5 किलोमीटर का वृद्धिकरण चाहा है। जिस पर जिला परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, जोधपुर के द्वारा अधीनस्थ निरीक्षक से मार्ग का सर्वे करवाकर, सर्वे रिपोर्ट मय ब्ल्यू प्रिन्ट के अपनी अनुशंशा के साथ प्रस्तुत की है कि उक्त मार्ग शहर के प्रमुख अस्पताल, मुख्य बाजार, न्यू हाईकोर्ट, प्रशासनिक कार्यालयों से उक्त क्षेत्र के रहवासियों का सीधा जुड़ाव होगा तथा उन्हें सरल, सुलभ एवं सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध होगी। अतः यातायात नियंत्रण बोर्ड से उक्त नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 15 मण्डोर फिलिंग स्टेशन से 18वां सेक्टर विस्तार चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड वृद्धिकृत डालीबाई का मंदिर वृद्धिकरण न्यू बकरा मण्डी तक करने की अनुशंषा करवाने का श्रम करावें। प्रकरण बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर के उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रकरण में जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की अनुशंषा करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 14 :: नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 07 चौपासनी से मण्डोर का वृद्धिकरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुरपुरा तक करने के संबंध में।**

बैठक में उपस्थित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने अवगत कराया कि उनके द्वारा जरिये पत्र कमांक परि/14/14 दिनांक 9 जनवरी, 2015 द्वारा निवेदन किया गया है कि नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 07 चौपासनी से मण्डोर तक वर्तमान में मार्ग का संचालन हो रहा है। आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मण्डोर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुरपुरा तक वाया कृषि विश्वविद्यालय, एफ.डी.आई. कॉलेज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आठ मील, इच्छापूर्ण बालाजी, 400 के.वी. सब स्टेशन, राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुरपुरा तक कुल 7 कि.मी. का वृद्धिकरण चाहा है। जिस पर जिला परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, जोधपुर के द्वारा अधीनस्थ परिवहन उप निरीक्षक से मार्ग का सर्वे करवाकर, सर्वे रिपोर्ट मय ब्ल्यू प्रिन्ट के अपनी अनुशंषा के साथ प्रस्तुत की है कि उक्त मार्ग शहर के प्रमुख अस्पताल, मुख्य बाजार, न्यू हाईकोर्ट, प्रशासनिक कार्यों से उक्त क्षेत्र के रहवासियों का सीधा जुडाव होगा तथा उन्हें सरल, सुलभ एवं सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध होगी। अतः यातायात नियंत्रण बोर्ड से उक्त नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 7 चौपासनी से मण्डोर का वृद्धिकरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुरपुरा तक करने की अनुशंषा करवाने का श्रम करावें। प्रकरण बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर के उपरोक्त प्रस्तावानुवार प्रस्ताव में जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की अनुशंषा करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 15 :: पावटा चौराहे पर स्थित स्लीप लैन के पास स्थित बस क्यू शैल्टर के संबंध में।**

बैठक में उपस्थित श्री कैलाशदान जुगतावत, अतिरिक्त उपायुक्त–पुलिस (यातायात), जोधपुर ने बताया कि पावटा चौराहा पर स्थिल स्लीप लैन के पास बस क्यू शैल्टर बनाया हुआ है जिसके कारण स्लीप लैन अक्सर 'ब्लॉक' पायी जाती है। जिसकी शिकायत अक्सर आम जनता व गणमान्य नागरिक कर रहे है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यातायात में बाधक उक्त बस क्यू शैल्टर को श्री कैलाशदान जुगतावत, अतिरिक्त उपायुक्त–पुलिस (यातायात) के निर्देशानुसार उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश बैठक में उपस्थित निदेशक–अभियांत्रिकी, प्राधिकरण को प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 16 :: पावटा चौराहे से मण्डोर रोड पर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण करने व गंदगी फैलाने के संबंध में।**

बैठक में उपस्थित श्री कैलाशदान जुगतावत, अतिरिक्त उपायुक्त–पुलिस (यातायात), जोधपुर ने बताया कि पावटा चौराहा से मण्डोर की तरफ सडक पर बांयी तरफ स्थित मिष्ठान व्यवसाईयों द्वारा दुकान के बाहर सामान रखकर विकय किया जाता है, भट्टी लगायी जाकर सडक के काफी हिस्से पर अस्थायी अतिकमण किया जाता है। इसके साथ इन प्रतिष्ठानों पर आने वाले ग्राहकों के वाहन भी बेतरतीब से खडे किये जाते हैं जिसके कारण यातायात में बहुत

ही बाधा उत्पन्न होती है। इसके साथ ही सडक सीमा में ही इनके द्वारा अपशिष्ट सामग्री/कचरा डाल दिया जाता है जो इधर उधर बिखर जाता है। जिसके कारण यहां जानवरों को जमावड़ा बना रहता है। जिसके कारण अक्सर छोटी–मोटी दुर्घटनाएं कारित होती रहती है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम, जोधपुर द्वारा ऐसे व्यवसाईयों द्वारा किये गये अतिक्रमण में प्रयुक्त सामग्री को जब्त किया जावे तथा भविष्य में ऐसे अतिक्रमण नहीं करें तथा अपशिष्ट सामग्री/कचरा सडक सीमा में नहीं डालकर निर्धारित स्थान पर डालने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भविष्य में इस प्रकार की घटना पुनः न हो इस हेतु पाबंद करें।

**प्रस्ताव संख्या 17 :: पावटा चौराहे से मण्डोर रोड पर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण करने व गंदगी फैलाने के संबंध में।**

बैठक में उपस्थित श्री कैलाशदान जुगतावत, अतिरिक्त उपायुक्त–पुलिस (यातायात), जोधपुर ने बताया कि पांचवी रोड़ चौराहे पर सरदारपुरा से आने वाले वाहन जो उम्मेद अस्पताल की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई यातायात सिग्नल लाईट नहीं होने से असमजस्यता की स्थिति उत्पन्न होती है। इस संबंध में स्थानीय नागरिकों व गणमान्य नागरिकों द्वारा समय समय पर ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। इस कारण कई यातायात में परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता–विद्युत इसका अध्ययन कर आगामी दो दिवस में यातायात लाईट लगाने की कार्यवाही करते हुए लाईट लगावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

3/3/15
(अजरा परवीन)
सचिव

कमांक/टीसीबी/2015/ दिनांक :: फरवरी, 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर
3. अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
5. पुलिस उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय एवं यातायात/पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
6. आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर
8. महाप्रबन्धक (प्रचालन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर
9. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
10. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
11. अपर मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. कमाण्डर, 45, सीमा सडक कृतिक बल, जालम विलास, पावटा बी, रोड, जोधपुर
13. निदेशक–अभियांत्रिक/आयोजना/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

15. अधीक्षण अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को कार्यवाही विवरण का अंकन वेब–साईट पर करने तथा संबंधित अधिकारियों को जरिये ई–मेल प्रेषित करने हेतु प्रेषित है।
18. ........................................................................................................

(अज़रा परवीन)
सचिव

परिशिष्ट–1

**दिनांक 27 फरवरी, 2015 को प्रातः 11.30 बजे श्री भूरा राम चौधरी, जोधपुर विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष, जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में आयोजित जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण**

| क्र.सं. | नाम अधिकारी मय पदनाम व विभाग |
|---|---|
| 1. | श्री दुर्गेश के. बिस्सा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर–प्रथम) जोधपुर |
| 2. | श्री एम.एल. नेहरा, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर |
| 3. | श्री के.डी. जुगतावत, अतिरिक्त उपायुक्त–पुलिस (यातायात), जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर |
| 4. | श्री एस.आर. जोशी, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर |
| 5. | श्री आर.पी. शर्मा, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर |
| 6. | श्री ओ.पी. पारीक, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर |
| 7. | श्री कैलाश रामदेव, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर |
| 8. | ले. कर्नल श्री आर.के. शर्मा, ऑफिसर कमाण्डिंग, 45, सीमा सडक कृतिक बल, जोधपुर |
| 9. | श्री सुखराम चौधरी, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर |
| 10. | श्री आर.एन. विश्नोई, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर |
| 11. | श्री बंशीलाल खत्री, प्रबन्धक (यातायात), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर |
| 12. | श्री एन.के. नेहर, सहायक अभियन्ता, नगर खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर |
| 13. | डॉ. ललित कुमार मतनानी, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर |
| 14. | श्रीमती अज़रा परवीन, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर |